

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला माजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

वसुधा नाथु शर्मा बनाम 9/08/14 नाथक

स. उ. प. अ. नं. 171 सन् 2011

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

20-6-14
पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित
पंठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे
में पवारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली सायिक आदेश में दिनांक 19-8-14

आज्ञा से
रीडर
सब डिविजन ऑफिसर
बनेड़ा

19/8
पत्रावली पेश हुयी।
आज पक्ष पत्रावली/कॉडलेस है। पत्रावली
सायिक आदेश में दिनांक 14-10-14
को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित
पंठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे
में पवारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली सायिक आदेश में दिनांक 6-1-15

आज्ञा से
रीडर
सब डिविजन ऑफिसर
बनेड़ा

6-1-15
पत्रावली पेश हुयी। समय पक्ष उपस्थित
पत्रावली पेश हुयी। 5-5-15 को पेश हुयी।
P.O. का पत्रावली में व्यस्त
है।

5.6.2015

राजस्व लोक अदालत 2015 केम्प सफलतापूर्वक में
पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्षकारान का बचक सूचना के अनुपस्थित
प्रकरण का मेरिट पर परीक्षा किया गया। प्रथी गण वि
प्र-पत्र की परगसं: 3 में परीत आराजीयात पैतृक भूमि होने
से अपना हक व स्वामित्व खोना सिद्ध करने में सफल रहे हैं।

(सन्दि किरोर राजौरा)
न्यायालय उपखण्ड बनेड़ा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया म
बनना पाया जाता है। यदि विपक्षी सं. 1 को इस
से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को आ
अपूरणीय शक्ति देना लाजमी है। लिहाजा प्रार्थी
शा.पत्र काबत T.I. स्वीकार योग्य है।

!! आदेश !!

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दिनांक 22-6-2011
विपक्षी सं. 1 काबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार
किया जाता है कि मूल वाद सं. 170/2011 के निस्त
मौजूदा शा.पत्र की प्रण सं. 3 में वर्णित विवादि
आराजीयात में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की सीमा
राजस्व रेकार्ड व मॉके की प्रथास्थिति बनाये रख
विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किय
उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषे
निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। पत्र वली फौसल
मूल वाद सं. 170/2011 के साथ नटयी रहें।

(नन्द विरारि
उपखण्ड अधि
जिला नानवाडा